--// लघु वनोपज का निश्चित दर पर विक्रय हेतु शर्तें //--

केता द्वारा निम्नानुसार शर्तों के अधीन लघु वनोपज क्रय हेतु अपना आवेदन भर कर प्रस्तुत कर सकते हैं।क्रेता से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव उचित पाये जाने पर अनुमोदन संघ द्वारा प्रदान किया जावेगा ।

केता से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन उपरांत विक्रय हेतु निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

1. निर्धारित आवेदन पत्र एवं लाट सूची संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते है। संघ की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त करने के कार्य को उक्त वेबसाइट पर इस हेतु प्रदर्शित शर्तो की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जायेगा।

2. लघु वनोपज का निश्चित दर पर क्रय हेतु आवेदन पत्र संघ की E-mail ID : mfpfed.cg@nic.in में ही प्रस्तुत करेंगे। उक्त ई-मेल में क्रेताओं से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन उपरांत क्रेता नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित जिला यूनियन/छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या., रायपुर द्वारा की जावेगी ।

3. क्रय मूल्य (करों सहित) का 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान केता द्वारा किया जावेगा। क्रेता द्वारा राशि का भुगतान अपने किसी बैंक खाते से संघ के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाता क्रमांक 016101018105 (IFSC Code - ICIC0000161)पर निम्न प्रक्रिया अनुसार चालान प्राप्त करने उपरांत ऑनलाईन भुगतान करना अनिवार्य है।

   चालान प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

   इस प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट www.cgmfpfed.org के मुख पृष्ठ(Home Page)में एक Link Online Payment Moduleउपलब्ध होगा । क्रेता द्वारा उक्तLink को Clickकरने पर एक पेज खुलेगा जिसके अंतर्गत एक Proceed for Money Receipt Generation through ICICI Bank Ltd. उपलब्ध होगा। उक्त Link को Click करने पर एक इनपुट फॉर्म खुल जावेगा, क्रेता क्रमशः क्रेता का नाम, आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN), ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लॉट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आय कर, विलंब शुल्क, गोदाम किराया एवं पुर्नजीवन शुल्क की प्रविष्टि करनी होगी । क्रेता द्वारा समस्त प्रविष्टि Caps Lock on करके ही की जानी चाहिये । क्रेता द्वारा प्रत्येक लॉट हेतु पृथक से प्रविष्टि करनी चाहिये अर्थात् एक या एक से अधिक लॉटों की प्रविष्टियों को जोडकर एक प्रविष्टि नही करनी चाहिये । उक्त फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत को Submit Buttonक्लिक करना होगा ।Submit Button को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिंट लेकर चालान में अंकित जानकारियों को बैंक द्वारा RTGSहेतु निर्धारित फॉर्म में भरकर चालान में अंकित राशि को RTGSकरना होगा ।

   ऑनलाइन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों को उनके ई-मेल पर, क्रेता के ई-मेल पर तथा संघ मुख्यालय के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी । जिला यूनियन द्वारा ऑनलाईन मनीरसीद प्राप्त होने उपरांत संघ मुख्यालय से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं ई-मेल द्वारा प्राप्त मनीरसीद मान्य किया जावेगा ।

4. निश्चित दर पर न्यूनतम राशि रूपये 25,000/- (कर अतिरिक्त) से अधिक राशि का ही वनोपज विक्रय किया जावेगा।

5. यदि कोई क्रेता उपलब्ध लाट में से आंशिक मात्रा क्रय करना चाहता है तो उसे आंशिक मात्रा क्रय करने की अनुमति दिया जा सकता है परन्तु राशि रूपये 25,000/- (कर अतिरिक्त) से कम की नहीं दी जावेगी ।

6. क्रेता 01 जिला यूनियन के 02 लाटों में से किसी 01 लाट की आंशिक व अन्य 01 लाट की आंशिक मात्रा क्रय नहीं कर सकता है, 01 लाट का आंशिक या पूर्ण मात्रा का क्रय कर सकता है।

7. क्रेता नियुक्ति आदेश निम्नानुसार जारी किया जा सकता है -

इच्छुक क्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर निर्धारित शर्तों के अनुरूप समय पूर्व छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित्, रायपुर के निर्धारित बैंक खाता में आनलाईन के माध्यम से क्रय मूल्य की पूर्ण राशि (समस्त करों सहित) जमा की पुष्टि उपरांत जिला यूनियन द्वारा क्रेता नियुक्ति आदेश जारी करने एवं परिदान की कार्यवाही करने हेतु जिला यूनियन को अधिकृत किया जाता है ।

7.1 जिला यूनियन द्वारा क्रेता नियुक्ति आदेश निम्न स्थिति में जारी किया जावेगा :-

अ. रूपये पच्चीस लाख तक के मूल्य का वनोपज की मात्रा को विक्रय/क्रेता नियुक्ति आदेश जारी करने के लिये जिला यूनियन को अधिकृत किया गया है।

ब. जिला यूनियन द्वारा स्वयं के जिला यूनियन के अर्थात् गोदाम/कोल्ड स्टोरेज में भण्डारित लाट का ही विक्रय आदेश जारी किया जावेगा, अन्य जिला यूनियन गोदाम में भण्डारित लाट का विक्रय आदेश जारी नहीं करेगा ।

स.क्रेता से आवेदन प्राप्ति के उपरांत शीघ्र अधिकतम 02 दिवस के भीतर क्रेता नियुक्ति आदेश जिला यूनियन द्वारा जारी किया जाना सुनिश्चित करे ।

द.वनोपज का निश्चित दर पर विक्रय/क्रेता को जारी की गई क्रेता नियुक्ति आदेश की प्रति ई-मेल पर तत्काल छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को दी जावेगी ताकि उक्त लाट को निश्चित दर की लाट सूची एवं आनलाईन निविदा सूचना की लाट सूची से विलोपित किया जा सकें ।

इ. संलग्न आवेदन पत्र पर ही क्रेता से आवेदन प्राप्त किया जावें एवं लघु वनोपज का निश्चित दर पर विक्रय हेतु शर्ते निर्धारित की गई है उसका पालन सुनिश्चित किया जावें ।

ई. संघ मुख्यालय स्तर से गोदामीकृत वनोपजों का निर्वतन हेतु प्रतिमाह ई-निविदा रखी जाती है। ई-निविदा ऑनलाईन क्रेता द्वारा निविदा भरने की तिथि से ई-निविदा का परिणाम घोषित होने तक वनोपजों का निश्चित दर से विक्रय जिला यूनियन स्तर से नहीं किया जावें । ऐसी स्थिति में यदि किसी वनोपज का विक्रय निश्चित दर से किया जाना है, तो उक्त वनोपज का विक्रय संघ मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर निर्णय उपरांत संघ स्तर से वनोपज का विक्रय आदेश जारी किया जावेगा ।

7.2 संघ मुख्यालय द्वारा क्रेता नियुक्ति आदेश निम्न स्थिति में जारी किया जावेगा :-

अ. रूपये पच्चीस लाख से अधिक मूल्य के वनोपज के विक्रय का आदेश संघ मूख्यालय द्वारा जारी किया जावेगा ।

ब. अगर लाट/विक्रय मात्रा एक से अधिक जिला यूनियन में भण्डारित गोदाम के लाटों को मिलाकर करता है तो उसका विक्रय आदेश संघ मूख्यालय से किया जावेगा ।

ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन देने के दिनांक से निर्धारित समय सीमा पूर्व तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।क्रेता के क्रय मूल्य के पूर्ण राशि (समस्त करो सहित) संघ खातें में जमा होने के पुष्टि उपरांत ही क्रेता नियुक्ति आदेश एवं परिदान दिया जा सकेगा।

8. क्रेता द्वारालघु वनोपजों के निश्चित दरों के साथ समय-समय पर लगने वाला वस्तु कर, सेवा कर एवं आय कर सहित भुगतान किया जावेगा । वर्तमान में **तालिका-01**में दर्शित वनोपजों की निश्चित दर एवं करों का भुगतान किया जावेगा ।

तालिका -01

कच्चे लघु वनोपज विक्रय हेतु निश्चित दर संबंधी विवरण

क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	निर्धारित निश्चित दर प्रति क्विंटल	वस्तु एवं सेवा कर की दर	आयकर (TCS)	करों सहित राशि रूपये प्रति क्विंटल	HSN Code
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पलाश फूल सूखा	2025	1740.00	0%	2%	**1775.00**	**06039000**
2.	गिलोय सूखा	2025	4460.00	12%	0%	**4996.00**	**30049011**
3.	हर्रा कचरिया	2024-25	3360.00	5%	2%	**3596.00**	**12119099**
4.	बहेड़ा कचरिया	2024-25	2700.00	5%	2%	**2889.00**	**12119099**
5.	हर्रा साबूत	2024-25	1890.00	5%	2%	**2023.00**	**12119099**
6.	बहेड़ा साबूत	2024-25	2080.00	5%	2%	**2226.00**	**12119099**
7.	कोदो (ग्रेड-ए) **Pre Cleaned**	2025	3990.00	0%	0%	**3990.00**	**10061090**
8.	कुटकी भूरा (ग्रेड-ए) **Pre Cleaned**	2025	4150.00	0%	0%	**4150.00**	**10061090**
9.	कुटकी काला (ग्रेड-ए) **Pre Cleaned**	2025	4150.00	0%	0%	**4150.00**	**10061090**
10.	रागी (ग्रेड-ए) **Pre Cleaned**	24-2025	5140.00	0%	0%	**5140.00**	**10082130**
11.	चरौंटा बीज	2024-25	2380.00	5%	2%	**2547.00**	**09109915**
12.	भेलवा	2024-25	1550.00	5%	2%	**1659.00**	**12119099**
13.	साल बीज	2025	2650.00	0%	2%	**2703.00**	**12099990**
14.	शतावरी जड़	2025	12100.00	5%	2%	**12947.00**	**12119049**
15.	नीम बीज	2025	3760.00	0%	2%	**3836.00**	**12109014**
16.	ऑवला बीज रहित (सूखा)	2025	7000.00	12%	2%	**7980.00**	**08134090**
17.	नागरमोथा	2025	4370.00	5%	2%	**4677.00**	**12119049**
18.	कालमेघ	2025	4100.00	5%	2%	**4387.00**	**12119029**
19.	धवई फूल	2025	4310.00	0%	2%	**4397.00**	**06039000**
20.	करंज बीज	2025	3180.00	0%	2%	**3244.00**	**12119019**
21.	कौंच बीज	2025	2837.00	0%	2%	**2894.00**	**12119019**
22.	इमली बीज	2025	1810.00	0%	0%	**1810.00**	**12099990**
23.	इमली बीज सहित (आटी इमली)	2025	4480.00	0%	0%	**4480.00**	**08134010**
24.	फूल इमली बीज रहित	2025	8530.00	0%	0%	**8530.00**	**08134010**
25.	वन तुलसी बीज	2025	2100.00	5%	2%	**2247.00**	**12119094**
26.	पताल कुम्हड़ा कंद सूखा	2025	2770.00	0%	2%	**2826.00**	**12119039**
27.	इंद्र जौ	2025	7140.00	0%	2%	**7283.00**	**12119019**
28.	महुआ फूल सूखा	2025	4470.00	5%	2%	**4784.00**	**12129920**
29.	फूड ग्रेड महुआ फूल	2024-25	11,410.00	5%	2%	**12,209.00**	**12129920**
30.	माहुल पत्ता	2022	1,300.00	0%	2%	**1,326.00**	**06049000**
31.	माहुल पत्ता	2023	1,300.00	0%	2%	**1,326.00**	**06049000**

टीप - निश्चित दर/ थोक दर पर न्यूनतम राशि रू. 25000.00 /- (कर अतिरिक्त) से अधिक राशि का वनोपज क्रय करना होगा । माहुल दोना पत्तल एवं फुल झाड़ू हेतु रू.10000/- मूल्य का उत्पाद क्रय करने पर ही थोक दर लागू होगी ।

क्रय मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर लगेगा, क्रय मूल्य एवं वस्तु एवं सेवा कर के योग पर आयकर देय होगा ।

1. क्रेता द्वारा वनोपज क्रय हेतु प्रस्ताव देने के पूर्व प्रस्तावित लघु वनोपज के गुणवत्ता का निरीक्षण / परीक्षण किया जावेगा ।अग्रिम राशि भुगतान पश्चात् गुणवत्ता संबंधी कोई भी विवाद मान्य नही होगा ।
2. वनोपज प्रजाति काजू छिलका, चिरौंजी छिलका, टोरा खल्ली (महुआ खल्ली) इत्यादि को बोरे के बिना ही क्रेता को प्रदान किया जावेगा ।
3. केता द्वारा यदि अग्रिम राशि जमा करने के पश्चात् क्रय किये गये वनोपज का 10 दिवस के भीतर परिदान प्राप्त नही किया जाता है तो केता से गोदाम / कोल्ड स्टोरेज किराया वसूल किया जावेगा ।जो अधिकतम 30 दिवस तक ही मान्य होगा, इसके उपरांत उक्त वनोपज पर क्रेता का कोई अधिकार नहीं होगा ।
4. केता द्वारा किसी वनोपज के 01 लॉट हेतु उपलब्ध मात्रा में से जितनी मात्रा के क्रय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा, की स्वीकृति दी जा सकेगी अर्थात् 01 लॉट का विक्रय पार्ट में भी किया जा सकेगा ।
5. वनोपज का परिदान प्राप्त करते समय तौल करने की जिम्मेदारी एवं तौलने का व्यय तथा बोरों को गोदाम/कोल्ड स्टोरेज से निकालने का व्यय क्रेता को स्वयं वहन करना होगा ।
6. संघ या उसके प्राधिकृत अधिकारी या वनमण्डलाधिकारी द्वारा वनोपज के विक्रय के पश्चात् क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ।
7. आवश्यकता होने पर छत्तीसगढ़ या राज्य के बाहर वन विभाग द्वारा जारी परिवहन अनुज्ञा पत्र से ही परिवहन करेगा ।
8. क्रेता द्वारा अपने अधिकारिक ई-मेल आई.डी. (जिसके माध्यम से ऑफर प्रस्तुत की गई थी) से परिदान लेने हेतु किसी व्यक्ति को, संस्था के लेटर-हेड पर अधिकृत करेगा । अधिकार पत्र/मुख्त्यारनामा का प्रपत्र संलग्न है । संलग्न प्रपत्र अनुसार ही अधिकार पत्र भेजा जाना अनिवार्य है ।
9. **आंबटित लॉट का हस्तांतरणः-**

   क्रेता प्रबंध संचालक, संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना, निश्चित दर पर आंबटित लॉट को किसी अन्य व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नही कर सकेगा। ऐसे लॉट का हस्तांतरण प्रबंध संचालक, संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में लॉट हस्तातरित किया जाना है वह राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लॉट के सम्पूर्ण क्रय मूल्य की राशि लघु वनोपज के निश्चित दर पर विक्रय हेतु शर्तें क्रमांक 03 के अनुसार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में हस्तांतरण करेगा । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन एवं हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति प्रबंध संचालक, संघ के कार्यालय में मूल क्रेता हेतु परिदान प्राप्त करने की निर्धारित अवधि में प्राप्त होना अनिवार्य है । हस्तांतरण ग्रहिता को हस्तांतरण आदेश की तिथि से 15 दिवस के भीतर परिदान लेना अनिवार्य होगा । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लॉट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता हस्तान्तरित लॉट का सम्पूर्ण क्रय मुल्य का भुगतान नहीं कर देता है । हस्तान्तरण ग्रहिता द्वारा हस्तातरित लॉट का सम्पूर्ण क्रय मुल्य का भुगतान करने उपरान्त ही हस्तांतरणकर्ता की राशि वापस की जावेगी । हस्तान्तरण शुल्क विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	**क्रय वनोपज का मूल्य (राशि रू. में प्रति लॉट)**	**लॉट हस्तान्तरण शुल्क (राशि रूपये में)**
1	5,00,000/- तक	1,000/-
2	5,00,000/- से अधिक	5,000/-

10.आवेदक द्वारा 30 दिवस के भीतर परिदान न लेने की स्थिति में उक्त संव्यवहार निरस्त माना जावेगा एवं जमा की गयी पूर्ण राशि राजसात की जावेगी। राजसात की कार्यवाही संबंधित जिला यूनियन से की जावेगी ।

11.क्रेता नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात् परन्तु 10 दिवस के भीतर यदि वनोपज का क्रय आदेश निरस्त कराना चाहता है तो क्रेता संघ कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि संघ कार्यालय द्वारा वसूल करने का अनुरोध कर उक्त लाट क्रय से मुक्त हो सकता है व बकाया राशि वसूली एवं काली सूची में दर्ज होने सहित सभी पश्चातवर्ती दायित्वों से मुक्त हो सकता है ।

12.अग्रिम राशि जमा करने के पश्चात् क्रेता को परिदान प्राप्त करना होगा। लघु वनोपज क्रय के संबंध में किसी भी विवाद पर प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ का निर्णय अंतिम होगा।

लॉट एवं उपलब्ध मात्रा का विवरण परिशिष्ट 1 में संलग्न है ।

स्थान ....

क्रेता का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता

दिनांक ....

....

....

दूरभाष/मोबाइल क्रमांक................

ई-मेल आईडी ....